रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 307] नई दिल्ली, शनिवार, जून 24, 1972/आषाढ़ 3, 1894

No. 307] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 24, 1972/ASADHA 3, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

CUSTOMS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 1972

S. O. 440(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue & Insurance) No. 15 Customs, dated the 14th January, 1971, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods specified in column (2) of the Table below, when imported into India, from the duty of customs leviable thereon to the extent indicated in the corresponding entry in column (3) of the said Table, subject to the conditions specified in the corresponding entry in column (4) thereof,

TABLE

Serial No.	Name of goods	Extent of exemption	Conditions of exemption
1	2	3	4
1	(a) vehicles as defined in Article 1 of the Convention. (b) Fuel and component parts referred to in Articles 3 and 4 respectively of the Convention.	Whole of the duty of customs leviable thereon under the first Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934) and of the additional duty leviable thereon under section 2A of the said Act.	(1) The importer shall (a) be a member of an Automobile Club or Association belonging to the Federation Internationale De L, Automobile or to the Alliance Internationale De Toursime.

1	2	3	4
			(b) produce to the proper officer for the purpose of the same being duly signed and stamped by him the triptyque or carnets de passages en douane issued by the Federation Internationale De L, Automobile or by the Alliance Internationale de Tourisme in the for approved and issued to him by a club or Association guaranteed by the Western India Automobile Association and in respect of which all the rules and conditions relating to triptyque or carnets de passages en douane have been complied with; and (c) satisfy the proper officer that the vehicles and component parts, which he has imported, correspond in all respects with those described in the triptyque or carnets de passages en douane and for this purpose produce the said vehicles and component parts for examination and record of particulars by such officer. (2) The period of retention of the vehicle in India does not exceed six months: Provided that where a vehicle imported under tripty que or carnets de passages en douane is exported out of India and is re-imported within the period of Six months from the date of its exportation from India, then for the purpose of determining the total period of retention of the vehicle in India the period of retention of the vehicles in India after such re-import will be added to the period of its retention in India after first importation: Provided further that where the Central Government is satisfied that it is necessary in the public interest so to do, it may extend the period of six months by a further period of six months. (3) Generally subject to the provisions of the convention,

1	2	3	4
2	Vehicle (including component parts), referred to in the convention which is permitted to be imported in accordance with the conditions specified against serial number 1 above and which, on account of accident requiring repairs of the vehicle or due to the death or illness of the holder of the temporary importation documents, or a person accompanying him or a family member, is not exported out of India within six months after date of importation.	Whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934) and of the additional duty leviable thereon under section 2A of said Act.	(1) The vehicle is garaged except when it is being repaired, in a premises approved by the Collector of Customs under a double lock, one of the owner and the other of the Customs, provided that where the holder of the temporary importation documents or the person accompanying him or his family members is hospitalised then this condition shall not apply. (2) The vehicle is re-exported before the expiry of six months from the date of its importation into India extended by the period of garaging or hospitalisation referred to in condition (1) above.
3	Vehicles and component Parts referred to in the convention (other than those specified in serial number 2 above) which are permitted to be imported in accordance with the contions specified against serial number 1 above and which are exported out of India after six months and within one year of the date of importation.	So much of the duty of Customs as is equal to the amount of drawback calculated by taking into account the use of the vehicle from the date of its first entry into India to the date on which the vehicle is finally re-exported.	The holder of the carnet continues to remain in India during the period of retention of the vehicle, in India.

Explanation:—In this notification, "Convention" means the Customs Convention on the Temporary Importation of private road vehicles.

2. Nothing contained in this notification shall apply to:—

(a) legal persons referred to in Article I (e) of the Convention;

(b) Persons normally resident outside India who on the occasion of temporary visit to India take up paid employment or any other form of gain-ful occupation.

[No. 86/F.No. 51/51/70-LCII]

V. R. SONALKAR Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सीमा शुल्क

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 1972

का०आ० 440(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962(1962 का 52)की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा

विभाग) की अधिसूचना सं० 15—सीमाशुल्क, तारीख 14 जनवरी, 1971 की अतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवयश्क है, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट माल को, जब उसका भारत में आयात किया जाए, उन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क से उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में उपदर्शित सीमा शुल्क, तक, उसके स्तंभ (4) की तस्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, एतद्द्वारा छूट देती है ।

सारणी

क्रम सं०	माल का नाम	छूट की सीमा	छूट की शर्तें
1	2	3	4
1	(क) कन्वेन्शन के अनुच्छेद 1 में यथा-परिभाषित यान (ख) कन्वेंशन के क्रमश: अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट ईंधन और संघटक पुर्जे ।	भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमाशुल्क और उक्त अधिनियम की धारा 2क के अधीन उन उप उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क ।	(1) आयातकर्ता : (क) फैडरेशन इंटरनेशनेल देल आटोमोबाइल या अलायेंस इंटरनेशनेल दे टूरिज्म के आटोमोबाइल क्लब या ऐसोसिएशन का सदस्य होगा ; (ख) फैडरेशन इंटरनेशनेल देल आटोमोबाइल द्वारा या अलायेंस इंटरनेंशनेल टूरिज्म द्वारा जारी किए गए ट्रिपटिक या कार्नेट व पैसेजेंज एन दौने को, वेस्टर्न इंडिया आटोमोबाइव एसोसियेशन द्वारा अनुमोदित और उसको जारी किए गए प्ररण में, और जिनकी बाबत ट्रिपटिक या कार्नेट पैसेजेज एन दौने से संबंधित सभी नियमों और शर्तों का अनुपालन किया गया है, उचित अधिकारी के समक्ष उसके द्वारा सम्पक् रूप से हस्ताक्षरित और स्टाम्पित किए जाने के प्रयोजन के लिए पेश करेगा; और (ग) उचित अधिकारी का समाधान करेगा कि वे यान और संघटक पुर्जे जिनका उसने

1	2	3	4
			आयात किया है, सब बातों में उनके समरूप है जिनको ट्रिपटिक या कार्नेट द पैसेजेज एन दौने में विहित किया गया है और इस प्रयोजन के लिए ऐसे अधिकारी द्वारा विशिष्टियों की परीक्षा और अभिलेख के लिए उक्त यानों और संबटक पुर्जों को पेश करेगा । (2) भारत में यान को रखे रखने की अवधि छह मास से से अधिक न हो : परन्तु जहां टिप्टिक या कानेट द पैसेजेज एन दौने के अधीन आयात किए गए किसी यान का भारत के के भारत निर्यात किया जाता है और भारत से उसका निर्यात किए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर उसका पुनः आयात किया जाता है वहां भारत में यान को रखे रखने की कुल अवधि अवधारित करने के प्रयोजन के लिए ऐसे पुनः आयात के पश्चात् भारत में यान को रखे रखने की अवधि प्रथम आयात के पश्चात् भारत में उसके रखे रखने की अवधि में जोड़ी जाएगी । परन्तु यह और कि जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है वहां वह छह मास की अवधि को और आगे छह मास की अवधि तक बढ़ाए सकेगी ।

1	2	3	4
			(3) साधारणतया केन्वेंशन के उपबंधों के अधीन रहते हुए ।
2.	कन्वेंशन में निर्दिष्ट एसेयान का (सिसमें पुर्जे भी सम्मिलित हैं) जिसका उपरोक्त क्रम संख्या 1 के सामने विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार आयात किया जाना अनुज्ञात है और जो, यान की मरम्मत अपेक्षित करने वाली दुर्घटना के कारण या अस्थायी आयात दस्तावेजों के धारक की या उसके साथ जाने वाले किसी व्यक्ति की या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य की मृत्यु या बीमारी के परिणामस्वरूप, आयात की तारीख से छह मास के भीतर भारत से बाहर निर्यात नहीं किया जाता है ।	भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची के अधीन उन परउद्ग्रहणीय समस्त सीमाशुल्क और उक्त अधिनियम की धारा 2क के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क ।	(1) सिवाय तब के जब यान की मरम्मत की जा रही हो वह सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा अनुमोदित किसी परिसर में दुहरे-ताले के अधीन गैरेज में रखा हो जिनमें से एक ताला स्वामी का और दूसरा तला सीमाशुल्क विभाग का हो, परन्तु यदि अस्थायी आयात दस्तावेजों का धारक या उसके साथ जाने वाला कोई व्यक्ति या उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य अस्पताल में भर्ती किया गया हो तो यह शर्त लागू नहीं होगी । (2) भारत में उसके आयात किए जाने की ऐसी तारीख से छह मास के अवसान के पूर्व यान का पुनर्निर्यात किया गया है जो उपरोक्त शर्त (1) में निर्दिष्ट गेरेज में रखने की या अस्पताल में भर्ती किए जाने की अवधि द्वारा बढ़ाई जाए ।
3.	कन्वेंशन में निर्दिष्ट यान और संघटक पुर्जे (उनसे भिन्न जो उपरोक्त क्रम संख्या 2 2 में विनिर्दिष्ट किए गए है) जिनका उपरोक्त क्रम संख्या 1 के सामने विनिर्दिष्ट शर्तों	उतना सीमाशुल्क जितना वापिसी की रकम के बराबर हो जिसकी संगणना यान के भारत में पहली बार आने की तारीख से उसके	कार्नेट का धारक, भारत में यान को रखे रखने की अवधि के दौरान, भारत में रहता है ।

1	2	3	4
	के अनुसार आयात करना अनुज्ञात है और जिनका आयात की तारीख से छह मास के पश्चात् और एक वर्ष के भीतर निर्यात किया गया है ।	अंतिम रूप से पुन : निर्यात किए जाने की तारीख तक यान के उपयोग को ध्यान में रखते हुए की जाए'।	

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना में "कन्वेन्शन" से प्राइवेट सड़क-यानों के अस्थायी आयात से सम्बद्ध सीमाशुल्क कन्वेंशन अभिप्रेत है ।

2. इस अधिसूचना में की कोई भी बात :—

(क) कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 (ङ) में निर्दिष्ट विधिक व्यक्तियों को ;

(ख) प्रसामान्यत : भारत के बाहर निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों को, जो भारत में स्थायी दौरे के अवसर पर वैतनिक नियोजन या किसी अन्य रूप में लाभ-दायक उपजीविका शुरू कर देते हैं, लागू नहीं होगी ।

[सं० 36/फा० सं० 15/51/70-एल० सी० II)

वि० रा० सोनालकर, उप सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972